

न्यायालय अति. जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 33/2023 आवंटन निरस्त

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलियां बनाम 1. जगदीश कैलाश रमेश शान्ती देवी पिता लक्ष्मण केसर पत्नी लक्ष्मण धाकड निवासी थडोदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

—प्रार्थी

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

उपस्थित —

1. राजकीय अधिवक्ता — प्रार्थी की ओर से
2. श्री राकेश चौहान अधिवक्ता — विपक्षी की ओर से

निर्णय

दिनांक 17.12.2025

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) विरुद्ध विपक्षी के प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम केशुविलास की आ.न. 344/15 रकबा 1.0118 हैक्ट. भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटनी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटनी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटनी का मौके पर कब्जा व काशत नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 08.09.2023 को दायर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

प्रकरण में प्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विपक्षी को ग्राम केशुविलास की आ.नं. 344/15 रकबा 1.0118 हैक्ट. भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटनी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। मौका रिपोर्ट अनुसार आवंटनी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटनी का मौके पर कब्जा व काशत नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

Dr
17.12.25
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा


विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी के नाम पर विधि अनुसार आवंटन किया गया था। 3 वर्ष पश्चात् स्वतः खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। प्रार्थी ने गलत तौर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि पटवार हल्का की मौका पर्चा रिपोर्ट में अंकित किया है कि ग्राम केशुविलास के आ.न. 344/15 रकबा 1.0118 हैक्ट. भूमि मौके पर आवंटी का कब्जा काशत नहीं है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गयी है। उक्त विवेचन अनुसार आवंटी द्वारा राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) की पालना नहीं की जाना स्पष्ट होता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव—

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) बाबत् भू-आवंटन निरस्तीकरण का स्वीकार कर विपक्षी के नाम आवंटित ग्राम केशुविलास के आराजी नं. 344/15 रकबा 1.0118 हैक्ट. भूमि के आवंटन को खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार बिजौलियां को निर्देश दिये जाते है कि ग्राम केशुविलास की आ.न. 344/15 रकबा 1.0118 हैक्ट. भूमि को कब्जे सरकार लेकर राजस्व रिकार्ड में बिलानाम दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार बिजौलियां को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(रणजीत सिंह)
अति-जिला कलक्टर
भीलवाड़ा